

कार्यालय वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, सरयू वृत्त अयोध्या।
पत्रांक 244 / 14-10 दिनांक, अयोध्या, जून 19 / 2021।

सेवा में, मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय:- मेसर्स टोरेन्ट गैस प्राईवेट लि० लखनऊ द्वारा जनपद-बाराबंकी के अन्तर्गत NATURAL GAS PIPE LINE बिछाये जाने हेतु लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग एन०एच०-56 (नया-731) के चैनज-54.86 से 64.00 के मध्य दांयी पटरी पर प्रभावित 0.4562 हे० संरक्षित वन भूमि तथा हैदरगढ़-भितरिया मार्ग के किमी 0.00 से 11.23 के मध्य बांयी पटरी पर प्रभावित 0.5516 हे० संरक्षित वन भूमि कुल-1.0078 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
प्रपोजल एफ०पी० / यू०पी० / पाइपलाइन / 123162 / 2021..

सन्दर्भ:- प्रभागीय निदेशक वनाधिकारी वन प्रभाग बाराबंकी का पत्रांक 2247 / 14-4-4 दिनांक 17-07-2021।

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बाराबंकी के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्रस्ताव का परीक्षण कर इसकी 03 प्रतियाँ मय सी०डी० के संस्तुति सहित संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(ड० अनिरुद्ध पाण्डेय)

वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी, सरयू वृत्त, अयोध्या।

पु०सं० 244 / उक्त दिनांक।

1- प्रतिलिपि-प्रभागीय वनाधिकारी बाराबंकी वन प्रभाग को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे कृपया सुनिश्चित करें, कि जब तक उक्त गैर वानिकी कार्य कराये जाने की विधिवत स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त न हो जाय तब तक किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य कदापि न प्रारम्भ होने दें।

2- प्रतिलिपि- प्रबन्धक टोरेन्ट गैस प्राईवेट लि० विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ड० अनिरुद्ध पाण्डेय)

वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी, सरयू वृत्त, अयोध्या।

Received 03 sets
[Handwritten signatures and notes]

भाग-iii

(संबन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका

संबन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि

हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रक्षेपों को,

निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

हाँ

15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना

और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ

16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन

संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें। प्रभागीय वनाधिकारी कायंएकी वन प्रभाग द्वारा दी गयी सूचना / रिप्लाय से सहमत होकर प्रस्ताव स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

दिनांक- 19/07/2021

स्थान- अयोध्या

हस्ताक्षर

नाम-

(डा० अश्विनीकुमार पाण्डेय)
वन संरक्षक निदेशक
साओ हाउ, सरयू नगर, 2090
अयोध्या